

रिपोर्ट पटवारी...पालश) व भू.अ. निरीक्षक...शयपुर...तहसील रायपुर

महोदयजी,
ग्राम पालश के जवाब खेला 88, 490, 491, 492,
सं. 493 में जमीन का नाम बालु पि. गोमा गाडी इन रिपोर्ट
हैं जबकि झण्डा कई जगहों में इनका नाम बालुराम
पि. गोमा इन हैं अतः बालु पि. गोमा के बजाय बालुराम
पि. गोमा क्रिया करना उचित है।

शयपुर
श्री 25/10/21

प्रशासन गाँवों के संग
पटवारी
25/10/2021
तहसीलदार (भीलवाडा)

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार रायपुर

शुद्धि की जाना उचित है

25/10/21
प्रशासन गाँवों के संग
अभियान 2021



आदेश (2021/250)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी शयपुर, भीलवाडा
कक्षा 1, प्रशासन भवन, केम्प, पालश/2021/57/21 दि. 25.10.21
मुताबिक तहसीलदार शयपुर की जांच रिपोर्ट एवं आवेदन द्वारा प्राप्त
दस्तावेज के अनुसार शयपुर ग्राम पालश की असाबंसी सेक्ट 2076-79 के
खेत 88, 490, 491, 492, व 493. शामिल की जाती है। सह खातेदार बालु
पि. गोमा के बजाय बालुराम पि. गोमा शुद्धि किया जाता है, तदनुसार खेत
रेकार्ड में इन्गज किया जावे। तहसीलदार शयपुर को पालश के
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर(भीलवाडा)



उपखण्ड अधिकारी
रायपुर भीलवाडा